डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 04/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 04/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख : 19 जुलाई, 2021

सेवा: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
सेवा प्रदाता: मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड
हवाईअड्डा: चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली

एसपीवी मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में 19.07.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में

चंडीगढ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली, पंजाब में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए चंडीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (हवाईअड्डा प्रचालक) द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध चयन प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए चयन किया गया है। आरएफपी की अपेक्षाओं के अनुसार मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विशेष प्रयोजनीय माध्यम (एसपीवी) बनना होगा। तदनुसार मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड नामक एसपीवी को 30.03.2021 को सम्मिलित किया गया है।

2. एसपीवी मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी नियमित टैरिफ निर्धारित होने तक अंतरिम अवधि के दौरान चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपनी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया है। इस संबंध में बीसीएएस के दिनांक 14.07.2021 के पत्र द्वारा 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए वैध अपेक्षित सुरक्षा अनुमति की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकरण को सूचित किया है कि वे तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए एमवाईटीपी और वित्त वर्ष 2021-22 तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) तैयार कर रहे हैं और इन्हें शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। प्राधिकरण नोट करता है कि सीएचआईएएल द्वारा जारी दिनांक 09.03.2021 के कार्य सौंपने संबंधी आशय पत्र (एलआईओए) के अनुसार एसपीवी द्वारा अपेक्षित बीसीएएस की सुरक्षा अनुमति प्राप्त होने की तारीख को एलआईओए को कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) के रूप में समझा जाएगा।

4. प्राधिकरण ने अनुरोध की जांच करके मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड को सीएचआईएएल में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल - देखें: दिनांक 14.02.2020 का आदेश संख्या 23/2019-20 और दिनांक 25.03.2021 का अंतरिम आदेश संख्या 67/2020-21) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ 19.07.2021 से 31.12.2021 तक, या, नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

आदेश

5. रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:-

(i) मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड को चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली, पंजाब में 19.07.2021 से 31.12.2021 तक, या, तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए संलग्नक **-I** में दिए गए टैरिफ कार्ड के अनुसार एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पहले एआईएटीएसएल) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथानुमोदित मौजूदा टैरिफ, तदर्थ आधार पर, वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नॉन शेड्यूल प्रचालनों के लिए वसूली गई टैरिफ ऐरा द्वारा 'समान श्रेणी के विमान' के शेड्यूल्ड प्रचालनों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवा के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड को सलाह दी जाती है कि वे तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए एमवाईटीपी शीघ्र प्रस्तुत करें।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवा में,

श्री संजय सावंत, सीएफओ एवं निदेशक,
बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड,
कमरा संख्या 5, डिपार्चर ऊपरी तल,
न्यू सिविल एयर टर्मिनल, सीएचआईए, झुरहेरी,
मोहाली, पंजाब, इंडिया, 140306

प्रतिलिपि:

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली, पंजाब

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.